कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक –2606 / 14–1 दिनांक, मुरादाबाद, मार्च ,19, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय :– अमरोहा–कॉठ मार्ग (M.D.R-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्र सं0 8 बी / 09 / 42 / 2017 / एफ0सी0 / 851, दिनांक 07.03.2018 एवं आपकी पत्र संख्या 2607 / अमरोहा / 25152 / 2017, दिनांक 09.03.2018

महोदय

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र **(दिनांक 07.03.2018)** द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा ने अपने पत्र संख्या–2315 / 14–1,दिनांक 15–03–2018 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है–

Observation No.	Observation of GOI	Reply/Modification
1-	The reply of queries raised vide this office letter dt. 21-07-2017, in Sr. No. 8 where chainage wise reqirement of width and balance PF has not been provided.	चेंनेज वाईज अवशेष संरक्षित वनभूमि का विवरण एवं तत्संबंधी मैप प्रस्ताव के पेज संख्या 79 से 81 तक संलग्न है।
2-	The proposal involves violation of 0.5 ha. reported by the concered DFO. This issue requires submission of self contained note from State Government for initiation of action under 3B of FCA 1980.	इस बिन्दु के क्रम में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अवगत कराना है, कि दिनांक 11.06.2015 को इस परियोजना के प्रयोक्ता अभिकरण सी0एण्डडी0एस0, यूनिट,–18, उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद के मौ0 फुरकान, सोनू, इमरान खां, श्री एस.एम. सिद्दीकी परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्डडी0एस0 व श्री ए0के0सिसौदिया अभियन्ता के विरूद्व बिना अनुमति के अमरोहा–कांठ रोड की संरक्षित वन पट्टी पर नाला निर्माण हेतु खुदाई किये जाने के वन अपराध के क्रम में भा0वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के तहत वन अपराध संख्या 3 / 2015–16 जारी किया गया था। उक्त क्रम में अभियुक्तगणों की ओर से विभागीय फैसला चाहने का अनुरोध किये जाने पर उनसे बतौर मुआवजा रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) ई–3 सं0 331 / 14 दिनांक 31.07.2015 से वसूल कर लिया गया था। उक्त से स्पष्ट है, कि प्रकरण में विधिक कार्यवाही की गई है। उक्त प्रकरण में गैर वानिकी कार्य में प्रभावित होने वाली वनभूमि के क्रम में विहित प्रक्रिया के तहत क्षतिपूरक वनीकरण प्रस्तावित किये जाने के साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण पर 3.40 है0 दण्डात्मक वृक्षारोपण भी प्रस्तावित किया गया है। अतः इस बिन्दु के क्रम में इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या / 14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा को उनके पत्रांक–2315 / 14–1,दिनांक 15–03–2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।